संख्या-38/2021/1343जेएल/22-3-2021-100(35)/2014

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 04 अगस्त, 2021*

विषय- जिला कारागार बागपत में निरूद्ध विचाराधीन बंदी धर्मेन्द्र किरठल पुत्र श्री रामपाल, निवासी जनपद-बागपत को प्रशासनिक आधार पर दूरस्थ कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-18470/सामा-1(4)/75/बंदी स्था0(जि0का0 बागपत)/2021, दिनांक 22-07-2021 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार बागपत में निरूद्ध विचाराधीन बंदी धर्मेन्द्र किरठल पुत्र श्री रामपाल को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार अम्बेडकरनगर में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-38/2021/1343जेएल(1)/22-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत एवं अम्बेडकरनगर।
4- पुलिस अधीक्षक, बागपत एवं अम्बेडकरनगर।
5- अधीक्षक, जिला कारागार बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी के जिला कारागार अम्बेडकरनगर में स्थानान्तरित/दाखिल होने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
6- अधीक्षक, जिला कारागार अम्बेडकरनगर।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।